केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

सहायक उप निरीक्षक(आशुलिपिक) और हवलदार(मंत्रालयिक)-2022 की भर्ती के लिए विज्ञापन

हेल्पलाइन नं. 011-26160255 आरंभिक तिथि:04/01/2023 अंतिम तिथि:25/01/2023

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक उप निरीक्षक(आशुलिपिक) और हवलदार(मंत्रालयिक) के पद के लिए भर्ती कर रहा है। पुरुष/महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो सामान्य रूप से भारत के निवासी हैं। अभ्यर्थी वेबसाइटhttp://www.crpfindia.comऔर www.crpf.nic.inके माध्यम से केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। (एक से अधिक पदों के लिए एकाधिक आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा) (Recruitment>View all>Ministerial Staff 'Apply' के लिंक के माध्यम से)

2. पुरुष/महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचित रिक्तियां:-

पद	अनारक्षित	ईडब्ल्यूएस	अन्यपिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अ.ज. जाति	कुल
सहायकउपनिरीक्षक) आशुलिपिक(	58	14	39	21	1 1	**143**
हवलदार) मंत्रालयिक(	532	132	355	197	99	**1315**

नोट : ऊपर दी गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया के किसी भी समय/स्तर पर बढ़ या घट सकती हैं।

3. **वेतनमान** : इन पदों के निम्नलिखित वेतन स्तर (7 वें सीपीसी के अनुसार)होंगे।

पद	वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स
सहायकउपनिरीक्षक) आशुलिपिक(	05	29200-92300
हवलदार)मंत्रालयिक(	04	25500-81100

4. **आयु सीमा** :-अभ्यर्थियों की आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 25/01/2023 को 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 26/01/1998 से पहले या दिनांक 25/01/2005 के बाद नहीं होना चाहिए।
नोट :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

5. **शैक्षणिक योग्यता** :- अभ्यर्थियों को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए।

6. **आवेदन कैसे करें** :
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी वेबसाइटhttp://www.crpfindia.comऔर www.crpf.nic.inके माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। (Recruitment>View all>Ministerial Staff 'Apply' के लिंक के माध्यम से)। पंजीकरण दिनांक 04/01/2023 से आरंभ होंगे।
नोट :- विस्तृत अधिसूचना सीआरपीएफ की वेबसाइट अर्थात http://www.crpfindia.comऔर www.crpf.nic.inपर उपलब्ध होगी। (Recruitment>View all>Ministerial Staff 'Apply' के लिंक के माध्यम से)। SD/-
23/12/2022

(सुधाकर उपाध्याय)
महानिरीक्षक(स्थापना) महानिदेशालय

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,
पूर्वी ब्लॉक-7, तल-4, सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, पिन-110066
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

हेल्प लाइन सं. 011-26160255 **वेबसाइट - www.crpf.gov.in**

विज्ञापन सूचना

केरिपुबल में स.उ.नि. (आशुलिपिक) और हवलदार (मंत्रालयिक)-2022 के पद के लिए भर्ती ।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि	04/01/2023
ऑनलाइन आवेदन व ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	25/01/2023
कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी	15/02/2023
कंप्यूटर आधारित टेस्ट की अनुसूची(अनंतिम)	22-28 फरवरी 2023

"सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता हो और जिसमें महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो "

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा तैयार भर्ती नियमों/योजना के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हवलदार (मंत्रालयिक) पद पर भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

2. भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कौशल (स्किल) टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजों का जांच एवं चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

2.1 आवेदन केवल **ऑनलाइन** मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है।
2.2 कंप्यूटर आधारित टेस्ट केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा।
2.3 कौशल (स्किल) टेस्ट केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा।
2.4 कौशल टेस्ट/शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेज़ों की सत्यापन(डीवी)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षण(डीएमई)/पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण(आरएमई) कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आयोजन के बाद निर्धारित किया जाएगा।
2.5 रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी।
2.6 अभ्यर्थी से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे और उनका सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन के समय किया जाएगा।
2.7 कौशल टेस्ट, पीएसटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा और भर्ती सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को उत्तीर्ण करने पर सीआरपीएफ द्वारा सीबीटी में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।
2.8 परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा सीआरपीएफ की वेबसाइट यानी http://WWW.crpf.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे टेस्ट प्रक्रिया के अपडेट के लिए नियमित रूप से सीआरपीएफ की वेबसाइट को देखते रहें और टेस्ट के प्रत्येक चरण के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें।
2.9 टेस्ट के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड की दो रंगीन प्रति लाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा के समय प्रवेश पत्र की एक रंगीन प्रति निरीक्षक (इनविजिलेटर) को सौंपनी होगी ।

3. **वेतनमान** : इस पद का वेतन स्तर (7 वें सीपीसी के अनुसार) निम्नानुसार है ।

पद	वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स
सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	05	29200-92300

हवलदार (मंत्रालयिक)	04	25500-81100

इस पद पर महंगाई भत्ता/मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/राशन मनी भत्ता, वर्दी भत्ता, मुफ्त आवास, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, छुट्टी के दौरान साल में एक बार मुफ्त छुट्टी रियायत और बल में नियमों के अधीन स्वीकार्य अन्य भत्ते होंगे।

4. **रिक्तियां:** रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

पद	अनारक्षित	ईडब्ल्यूएस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु जाति.	अ जा.ज. ति	कुल
सहायक उप निरीक्षक)आशुलिपिक(	58	14	39	21	1 1	**143**
हवलदार)मंत्रालयिक(	532	132	355	197	99	**1315**

4.1 रिक्तियां अनंतिम हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना सीआरपीएफ की वेबसाइट www.crpf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी।

4.2 भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए 10% रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। यदि उपयुक्त भू.पू.सै. (ईएसएम) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो भू.पू.सै. (ईएसएम) के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के गैर-भू.पू.सै. अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

4.3 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

5. **<u>पदों का आरक्षण और उपयुक्तता:</u>**

5.1 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए आरक्षण केंद्र सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुरूप हैं।

6. **राष्ट्रीयता/नागरिकता** : एक उम्मीदवार को होना चाहिए, या तो :

6.1 भारत का नागरिक, या

6.2 नेपाल का नागरिक, या

6.3 भूटान का नागरिक, या

6.4 एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने की मंशा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

6.5 भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीन्या, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से पलायन करके भारत में स्थायी रूप से बसने की मंशा से आया हुआ हो।

6.6 उपरोक्त श्रेणियों 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा बशर्त पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

6.7 एक अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

7. **<u>आयु सीमा:</u>**

7.1 अभ्यर्थियों की आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 25/01/2023 के अनुसार 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उम्मीदवार का जन्म 26/01/1998 से पहले या 25/01/2005 से बाद में नहीं होना चाहिए।

7.2 आयु में छूट का दावा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों और श्रेणी कोड के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार होगी:

कोड संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे अनुमेय आयु-छूट
01.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 साल
02.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 साल
03.	भूतपूर्व सैनिकों	अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष।
04.	केंद्र सरकार के कर्मचारी	**जिन्होंने अंतिम तिथि तक 3 वर्ष से कम नियमित/निरंतर सेवा प्रदान न की हो तो सामान्य/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष की आयु तक, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 45 वर्ष तक के पात्र हैं।**
05.	1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अनारक्षित)	5 साल
06	1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (ओबीसी)	8 साल
07	1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अ.जा./अ.ज.जाति)	10 वर्षों

नोट-1:- उपर्युक्त वर्णित पदों को विकलांग व्यक्तियों/पीडब्ल्यूएस यानी एचएच, ओएच, वीएच या ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। इसलिए, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट-2:- ओबीसी केंद्रीय सूची के लिए, उम्मीदवार एनसीबीसी की वेबसाइट देख सकते हैं।

7.3 उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि और वही जो मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज है, आयु निर्धारण के लिए सीआरपीएफ द्वारा स्वीकार की जाएगी और बाद में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया नाम और मैट्रिक/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज नाम सीआरपीएफ द्वारा स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी और उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

7.5 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) जिन्होंने अपने पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के तौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पदों पर समूह 'सी' और 'डी' पदों में रोजगार पहले ही अर्जित कर चुके हैं, वे भू.पू.सै.(ईएसएम) श्रेणी और शुल्क रियायत में आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, वह बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/20147-Estt (Res) में वर्णित किए गए अनुसार प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पूर्व जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था विभिन्न रिक्त पद के लिए आवेदन का तिथिवार विवरण के विषय में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनबंध देता है।

7.6 सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिकों की "कॉल अप सर्विस" की अवधि नियमों के अनुसार आयु में छूट

के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में भी माना जाएगा।

7.7 भारत संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा। उसे इस पद/सेवा के लिए अपने आवेदन जमा करने के प्रासंगिक समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त होना चाहिए या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत के साथ अपनी अर्जित पात्रता को स्थापित करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (**अर्थात 25/01/2023**) से निर्धारित एक वर्ष की अवधि के भीतर सशस्त्र बलों से विनिर्दिष्ट सेवा अवधि को पूरा कर लेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **(अर्थात 25/01/2023)** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना होगा ।

7.8 एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसने भारतीय सेना का विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में शामिल है), जिसने संघ की सशस्त्र बलों के साथ अंतिम तिथि अर्थात **25/01/2023** को 15 वर्ष से कम की सेवा नहीं की है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। इस प्रकार, वे गैर-स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, पात्र नहीं हैं ।

7.9 **स्पष्टीकरण** : एक भूतपूर्व सैनिक का आशय उस व्यक्ति से है:

7.9.1 जो योद्धक या गैर-योद्धक के रूप में भारतीय संघ की सेना, नौसेना और वायु सेना में नियमित रूप से किसी भी पद पर सेवा की हो, और

(i) जिसे अपने स्वयं के अनुरोध पर इस प्रकार की सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवा-मुक्त किया गया हो या पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो, या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर इस प्रकार की सेवा से कार्य-मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है; या

(iii) जिसे स्थापना द्वारा छंटनी करने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो।

या

7.9.2 जिसे अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद ऐसी सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया है, किन्तु उनके स्वयं के अनुरोध पर या पदच्युति के माध्यम से, या कदाचार या अदक्षता के कारण सेवामुक्त नहीं किया हो और जिन्हें ग्रेच्युटी प्रदान की गई है तथा जिनमें प्रादेशिक सेना के कार्मिकों, संगठित सेवा के लिए निरंतर पेंशन पाने वाले या अर्हक सेवा का खंडित अवधि वाले भी शामिल हैं;

या

7.9.3 सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा के कारण कार्यमुक्त किया जाता है या सैन्य सेवा से परेशान या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण नियंत्रण और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है।

या

7.9.4 कार्मिक, जो 14 अप्रैल,1987 से पहले छह महीने से अधिक के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे।

या

7.9.5 सशस्त्र बलों के कार्मिकों सहित प्रादेशिक सेना के शौर्य पुरस्कार विजेता।

या

7.9.6 भूतपूर्व रंगरूटों को चिकित्सीय आधार पर सेवा से बोर्ड आउट या कार्यमुक्त कर दिया गया हो और चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है।

7.10 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे। उन्हें अनुबंध और सभी छूटों की निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक साल पहले पुन: रोजगार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। परंतु उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में अनुबंध की निर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं करते हैं।

7.11 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण ग्राह्य नहीं है। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने वर्ग का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

7.11.1 बच्चों से तात्पर्य है:
पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) या
पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

7.11.2 आश्रित परिवार के सदस्य से तात्पर्य है:
पती-पत्नी या
बच्चे या
अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई या बहन जो दंगों में मारे जाने के समय उस पीड़ित पर पूरी तरह आश्रित थे, पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में ऊपरी आयुसीमा में छूट के लिए पात्र होने हेतु, आवेदक को संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में पीड़ित की मृत्यु हुई थी।

8. **प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन)की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रारूप :**

8.1 वे अभ्यर्थी जो चाहते हों कि आरक्षित रिक्तियों के एवज में उन पर विचार हो या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय सीआरपीएफ द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/ ईएसएम आदि श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ आवेदन सामान्य (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत विचार किया जाएगा। आगे, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य आयु-छूट की मांग की है या भू.पू.सै. (ईएसएम) दर्जा का दावा किया है और प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपनी संबंधित श्रेणी यानी अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित में माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप परीक्षा की सूचना के साथ संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

8.2 अ.पि.व. के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार जाति / समुदाय प्रमाण पत्र उपलब्ध है (और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नहीं) और निर्णायक तिथि को संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं। अ.पि.व. केंद्रीय सूची के लिए अभ्यर्थी एनसीबीसी की वेबसाइट देख सकते हैं।

8.3 ईडब्ल्यूएस के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास केंद्रीय सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णायक तिथि यानी **25.01.2022** तक जारी किया गया "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" उपलब्ध है।

8.4 अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता सत्यापित किए जाने तक उनकी उम्मीदवारी अस्थाई (प्रोविजनल) रहेगी। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/भू.पू.सै.आदि की स्थिति का दावा करते हैं तो उन्हें सीआरपीएफ द्वारा आयोजित परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा ।

8.5 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **अर्थात 25.01.2023** होगी ।

9. शैक्षिक योग्यता (आवेदन की अंतिम तिथि यानी 25.01.2023 के अनुसार)

9.1 अभ्यर्थियों को **केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।**

नोट: 10वीं कक्षा के बाद तकनीकी शिक्षा में किया गया दो या तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र इंटरमीडिएट (10+2) के समकक्ष नहीं है।

9.2 जिस उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता हासिल नहीं की है, वह पात्र नहीं होगा और उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

9.3 सीआरपीएफ द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कौशल (स्किल) टेस्ट और पीएसटी में योग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को दिनांक **25.01.2023** तक या इससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने संबंधी प्रमाण के रूप में मूल रूप से सभी संबंधित प्रमाण पत्र जैसे अंक पत्र /प्रोविजनल (अनंतिम) डिग्री को प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न होने पर सीआरपीएफ द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में सक्षम हैं कि योग्यता (क्वालीफाइंग) टेस्ट का परिणाम निर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) तक या उससे पहले घोषित कर दिया गया था तथा उन्हें उतीर्ण घोषित कर दिया गया है, उसे भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता माना जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक अनिवार्य रूप से घोषित की जानी चाहिए। निर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) तक बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम की केवल प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता आवश्यकता को पूरा नहीं करती है** ।

9.4 समकक्ष शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों से संबंधित समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

10. **आवेदन कैसे करें/आवेदन करने के चरण** :

10.1 आवेदन सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जमा किया जाए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधी विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञापन के अनुलग्नक-I को देखें।

10.2 अभ्यर्थी पद/ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

10.3 आवेदन पोर्टल दिनांक 04/01/2023(1000 बजे) से 25/01/2023 तक (2355 बजे तक) चालू रहेगा।

10.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण सीआरपीएफ की वेबसाइट पर लॉगिन करने में डिसकनेक्सन/असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

10.5 उपरोक्त या किसी अन्य कारणों से जो सीआरपीएफ के नियंत्रण से बाहर होने के कारण अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम न होने पर सीआरपीएफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक फील्ड में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. **आवेदन शुल्क/भर्ती प्रक्रिया शुल्क:**

11.1 केवल सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए @100/- रुपये की दर से परीक्षा शुल्क होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है।

11.2 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

11.3 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनाक 25-01-2023 को 2359 बजे तक किया जा सकता है ।

11.4 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे। ऐसे अस्वीकार अभ्यावेदन के लिए किसी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य टेस्ट या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क जमा हो गया है।

12. **कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र/शहर** :

12.1 उम्मीदवार को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से तीन (3) विकल्प/पसंद परीक्षा केंद्र के रूप में सूचित करने होंगे (सूची लंबवत रूप से (वर्टिकली) पढ़ी जाए):

आंध्र प्रदेश	जामनगर	अमरावती	करूर
अमलापुरम	मेहसाणा	अकोला	मदुरै
अनंतपुर	राजकोट	औरंगाबाद	सेलम
बोब्बिली	सूरत	बारामती	थेनि
चिराला	वडोदरा	भिवंडी	तिरुचिरापल्ली
चित्तूर	वलसाड	बोईसर	तिरुनेलवेली
एलुरु	वापी	धुले	तिरपुर
गूटी	**हरियाणा**	इचलकरंजी	वेल्लोर
गुद्लावेल्लेरू	अंबाला	जलगांव	**तेलंगाना**
गुंटूर	फरीदाबाद	कोल्हापुर	आदिलाबाद
कडपा	**हिमाचल प्रदेश**	कोपरगांव	हैदराबाद
काकीनाडा	बिलासपुर	लातूर	करीमनगर
कुरनूल	हमीरपुर	मुंबई	खम्माम
मदनपल्ली	मंडी	नागपुर	कोडाद
मरकापुर	नाहन	नांदेड़	कोठागुडम
नांदयाल	**जम्मू और कश्मीर**	नासिक	महबूबनगर
नेल्लोर	जम्मू	पंढरपुर	नलगोंडा

प्रोद्दातुर	सांबा	पुणे	नरसामपेट
पुट्टपर्थी	श्रीनगर	रायगढ़	निजामाबाद
पुत्तूर	**झारखंड**	सांगली	साथुपल्ली
राजमुंदरी	धनबाद	सतारा	सूर्यापेट
श्रीकाकुलम	हजारीबाग	सिंधुदुर्ग	वारंगल
तड़पत्री	जमशेदपुर	शोलापुर	वारंगल (शहरी)
तिरुपति	रांची	थाने	**त्रिपुरा**
तिरुवुरु	**कर्नाटक**	**मणिपुर**	अगरतला
विजयवाड़ा	बागाकोट	इंफाल	**उत्तर प्रदेश**
विशाखापत्तनम	बल्लारी (बेली)	उखरूल	आगरा
विजयनगरम	बेलगावी (बेलगाम)	**मेघालय**	अलीगढ़
अरुणाचल प्रदेश	बेंगलुरु	शिलांग	अयोध्या
नाहरलगुन	बीदर	**मिजोरम**	गोंडा
पांपुम पारे	चिबलापुर	आइजोल	गोरखपुर
असम	चिक्कामगलुरु	**नगालैंड**	झांसी
डिब्रूगढ़	दावनगेरे	कोहिमा	कानपुर
गुवाहाटी	धारवाड़		गाज़ियाबाद
जोरहाट	गुलबर्गा	**ओडिशा**	मेरठ
लखीमपुर	हसन	बालासोर	नोएडा
सिलचर	हुबली (हुबली)	बेरहामपुर - गंजम	बरेली
तेजपुर	कालबुर्गी (गुलबर्गा	भुवनेश्वर	लखनऊ
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	मंगलुरु (मैंगलोर)	कटक	मथुरा
पोर्ट ब्लेयर	मैसूर (मैसूर)	ढेंकनाल	मुरादाबाद
बिहार	पुत्तूर	राउरकेला	मुजफ्फरनगर
आरा	शिवमोग्गा (शिमोगा)	संबलपुर	प्रतापगढ़
दरभंगा	तुमकुरु (तुमकुर)	**पंजाब**	प्रयागराज
भागलपुर	उडुपी	अमृतसर	सीतापुर
मुजफ्फरपुर	**केरल**	भटिंडा	वाराणसी
पटना	अलपुझा	जालंधर	**उत्तराखंड**
पूर्णिया	एर्नाकुलम	लुधियाना	देहरादून
रोहतास	इडुक्की	मोहाली	हल्दवानी
चंडीगढ़	कन्नूर	पटियाला	रुड़की
रायपुर खुर्द	कोल्लम	**राजस्थान**	**पश्चिम बंगाल**
छत्तीसगढ	कोट्टायम	अजमेर	आसनसोल
भिलाई नगर	कोझिकोड	बीकानेर	बहरामपुर
बिलासपुर सीजी	मलाप्पुरम	हनुमानगढ़	बांकुड़ा
दुर्ग	पलक्काड़	जयपुर	बर्दवान
रायपुर	तिरुवनंतपुरम	जोधपुर	दुर्गापुर
दिल्ली	त्रिशूर	कोटा	हुगली
नई दिल्ली	**मध्य प्रदेश**	सीकर	हावड़ा
गोवा	भोपाल	**सिक्किम**	कल्याणी
पणजी	इंदौर	गंगटोक	कोलकाता
गुजरात	जबलपुर	**तमिलनाडु**	सिलीगुड़ी

अहमदाबाद	सतना	चेन्नई	सूरी
आणंद	उज्जैन	कोयंबटूर	
गांधीनगर	**महाराष्ट्र**	कुड्डालोर	
हिम्मतनगर	अहमदनगर	इरोड	

टिप्पणी-:

ए) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को परीक्षा के लिए अपनी पसंद के शहर के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

बी) अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए तीन शहरों में से किसी एक में समायोजित किया जा सकता है।

सी) केरिपुबल के पास अभ्यर्थियों की यहां तक कि चयनित पसंद से परे किसी भी परीक्षा शहर में अभ्यर्थी को शेड्यूल करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

डी) परीक्षा का शहर, एक बार चुने जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में बदला **नहीं** जाएगा।

ई) किसी विशेष शहर में अधिक आवेदन/कम आवेदन प्राप्त होने के मामले में ,अभ्यर्थियों को पास के शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

एफ) उपरोक्त परीक्षा केंद्र केवल सीबीटी के लिए हैं। भर्ती के अगले चरणों के लिए परीक्षा केंद्र को निकटतम केरिपुबल कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

13. **परीक्षा योजना :**

13.1 परीक्षा में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कौशल टेस्ट, शारीरिक मानक जाँच, दस्तावेजों का सत्यापन और विस्तृत मेडिकल जाँच (डीएमई) शामिल होगी। परीक्षा के ये सभी चरण अनिवार्य हैं। इन पेपरों/परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है:

13.2 **कंप्यूटर आधारित टेस्ट** : कंप्यूटर आधारित टेस्ट में एक पेपर होगा जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न डेढ़ घंटे (90 मिनट) में करने होंगे :

कंप्यूटर आधारित टेस्ट की अनंतिम तिथि	भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या/अधिकतम अंक	समय अवधि और अंक
22-28 फरवरी 2023	ए	हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा (वैकल्पिक)	25/25	90 मिनट / 100 अंक
	बी	सामान्य योग्यता	25/25	
	सी	सामान्य बुद्धिमत्ता	25/25	
	डी	मात्रात्मक अभिक्षमता	25/25	

13.2.1 भाग बी, सी, डी, द्विभाषी के रूप में सेट किया जाएगा।

13.2.2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।

13.2.3 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

13.2.4 सीबीटी की तिथि और केंद्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र (सीआरपीएफ वेबसाइट से डाउनलोड करें), एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

13.2.5 अभ्यर्थियों द्वारा सीबीटी में प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम मेरिट और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के

लिए किया जाएगा।

13.2.6 सीबीटी में प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के होंगे।

13.2.7 अभ्यर्थियों को सीबीटी से परिचित कराने के लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में मॉक टेस्ट लिंक उपलब्ध होगा।

13.2.8 अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर नहीं लाना चाहिए।

13.2.9 परीक्षा के प्रश्न और उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थियों से आपत्तियां यदि कोई हो आमंत्रित करने के लिए सीबीटी के आयोजन के 2-3 दिन बाद आपत्ति प्रबंधन लिंक सीआरपीएफ की वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा।

13.2.10 अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करते समय उत्तर के विकल्पों को देख सकते हैं और यदि कोई हो, तो केरिपुबल द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन माध्यम से 100/- रुपये प्रति प्रश्न के भुगतान पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.2.11 नोटिस में दर्शाई गई टेस्ट की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को केवल सीआरपीएफ की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

13.2.12 प्राप्तांकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

13.3 हव.(मंत्रालयिक) के लिए कौशल(स्किल) टेस्ट-टाइपिंग/ स.उ.नि.(आशुलिपिक) के लिए आशुलिपि:

सीबीटी में क्वालीफ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के अगले चरण यानी कौशल परीक्षा/पीएसटी/डीवी/डीएमई के लिए बुलाया जाएगा जो केरिपुबल के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी ।

कौशल परीक्षा (कंप्यूटर पर) (सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) के लिए)	डिक्टेशन : 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से । प्रतिलेखन समय- कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट या हिंदी में 65 मिनट।
कौशल(स्किल) टेस्ट (कंप्यूटर पर) (हवलदार/मंत्रालयिक के लिए)	**कंप्यूटर पर न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी टंकण।** **या** **कंप्यूटर पर न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण। (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में 10500 की-डिप्रेशंस प्रति घंटे के अनुरूप हिंदी में 9000 की-डिप्रेशंस प्रति घंटे कंप्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशंस के औसत के साथ)**

13.3.1 कौशल(स्किल) टेस्ट (टंकण) केवल कंप्यूटर पर आयोजित किया जाएगा। भर्ती केंद्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर और की- बोर्ड प्रदान किए जाएंगे।

13.3.2 कौशल परीक्षा आयोजित करने का तरीका/प्रक्रिया/पद्धति विभाग द्वारा तय की जाएगी। <u>कौशल(स्किल) टेस्ट अर्हक प्रकृति का होगा और कौशल टेस्ट के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा।</u>

13.3.3 हिंदी में कौशल परीक्षा केवल "मंगल फ़ॉन्ट के साथ रेमिंगटन गेल की- लेआउट" पर आयोजित की जाएगी। "मंगल फॉन्ट" का नमूना वेब साइट "www.crpf.gov.in" पर उपलब्ध होगा।

13.3.4 प्रत्येक त्रुटि (वर्तनी की गलती, शब्द/विराम चिह्न की चूक, दोहराए गए शब्द, टेस्ट/वास्तविक गद्यांश से भिन्न शब्द, गद्यांश में शब्द नहीं, शब्दों का मिश्रण आदि) को एक गलती के रूप में गिना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा वास्तव में टाइप किए गए गद्यांश में 5% शब्दों के बराबर गलतियाँ होने की छूट/ अनुमति होगी। स्वीकार्य सीमा के 5% से अधिक प्रत्येक गलती के लिए वास्तविक टंकण गति का आकलन करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों में से 10 शब्द घटाए जाएंगे। (केवल हवलदार (मंत्रालयिक) के लिए)।

13.3.5 जैसा कि ऊपर (कौशल टेस्ट) में उल्लेख किया गया है उनकी {केवल एएसआई (स्टेनो) के लिए} आशुलिपि/शॉर्टहैंड टेस्ट में परीक्षा ली जाएगी।

13.3.6 शॉर्टहैंड नोट्स का प्रतिलेखन विभाग द्वारा प्रदान किए गए कंप्यूटर और कीबोर्ड पर करना होगा तथा किसी भी स्थिति में अन्य टाइपिंग मोड के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3.7 अभ्यर्थियों द्वारा डिक्टेशन को शॉर्टहैंड स्ट्रोक्स में नोट करना/लेना होगा और उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। लॉन्ग हैंड (यानी मानक शॉर्टहैंड स्ट्रोक के अतिरिक्त) में डिक्टेशन को नोट करना/लेना स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कौशल(स्किल) टेस्ट में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, भले ही वे दिए गए समय में सही ढंग से अनुलिपि करते हैं।

13.3.8 कौशल(स्किल) परीक्षा के पुन: परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार/विचार नहीं किया जाएगा।

13.3.9 40 गलतियों के बाद, जो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट के डिक्टेशन में 800 शब्दों का 5% है, अभ्यर्थी को "अनुत्तीर्ण" घोषित किया जाएगा (सउनि(आशुलिपिक) के लिए)।

13.3.10 केरिपुबल के पास कौशल टेस्ट मूल्यांकन प्रक्रिया में भर्ती नियमों के अनुरूप कोई भी संशोधन करने और किए जाने वाले किसी भी अन्य परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है।

13.3.11 शारीरिक मानक जाँच के समय अभ्यर्थी की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए, सीबीटी/कौशल परीक्षा/पीएसटी के लिए उपस्थित होने से पहले समय-समय पर इस नोटिस में निर्धारित पात्रता को सत्यापित करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी। कौशल टेस्ट/पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरने के लिए कहा जाएगा। पीएसटी में लंबाई, वजन, सीना (जैसा लागू हो) का माप शामिल है।

13.4 **शारीरिक मानक जाँच और दस्तावेज़ सत्यापन (सभी पदों के लिए):**

13.4.1 शारीरिक मानक जाँच (पीएसटी):

क्र.सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	लंबाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
			बिना फुलाए	फुलाकर
(i)	क्रम संख्या (ii) और (iii) में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को छोड़कर पुरुष अभ्यर्थी	165	77	82
(ii)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के	162.5	77	82

	अभ्यर्थी ।			
(iii)	अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार	162.5	76	81
(iv)	क्रम संख्या (v) और (vi) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर महिला अभ्यर्थी	155	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी।	150	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	150	लागू नहीं	लागू नहीं

13.4.2 चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में/अनुरूप (पुरुषों और महिलाओं के लिए)। अधिक/कम वजन होना केवल मेडिकल टेस्ट के स्तर पर अयोग्यता माना जाएगा ।

13.4.3 महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा।

13.4.4 लंबाई और सीना में छूट (जैसा मामला हो) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल उस जिले के सक्षम प्राधिकारियों से **अनुबंध-VI** में निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा जहां वे सामान्य रूप से निवास करते हैं।

13.4.5 वे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानकों, अर्थात लंबाई और सीना में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि वे चाहें तो पीएसटी ग्राउन्ड पर उपस्थित अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.4.6 कंप्यूटर आधारित टेस्ट और कौशल(स्किल) टेस्ट में चुने गए पूर्व सैनिकों को केवल लंबाई, सीना और वजन रिकार्ड करने के लिए पीएसटी में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीएसटी में पूरी छूट है। हालांकि, उन्हें कौशल (स्किल) टेस्ट और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

13.4.6 पीएसटी का कोई अंक नहीं होगा, किंतु अर्हक/विलोपन प्रकृति का होगा।

13.5 दस्तावेज़ सत्यापन: दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को सीबीटी, स्किल टेस्ट और पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

13.5.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

13.5.2 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के समय अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। फोटो आईडी प्रमाण हो सकता है:

13.5.2.1. आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

13.5.2.2. मतदाता पहचान पत्र,

13.5.2.3. पैन कार्ड,

13.5.2.4. पासपोर्ट,

13.5.2.5. ड्राइविंग लाइसेंस,

13.5.2.6. सरकारी कॉलेज / स्कूल आईडी कार्ड,

13.5.2.7. नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/भारत सरकार के उपक्रम),

13.5.2.8. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र

13.5.3 अभ्यर्थी को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

13.5.3.1. मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाणपत्र।

13.5.3.2. इंटरमीडिएट / 10 + 2 प्रमाणपत्र।

13.5.3.3. यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है तो दावा की गई समतुल्य शिक्षा योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, प्राधिकार (संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख करें जिसके तहत इसे आवश्यक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में माना गया है।

13.5.3.4. जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र, आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के अनुलग्नक IV, अनुलग्नक-V और अनुलग्नक-VII में निर्धारित प्रारूप में यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है।

13.5.3.5 इस परीक्षा की सूचना के पैरा 7.2 के तहत श्रेणी क्रमांक 5, 6 एवं 7 में उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से जारी प्रमाण पत्र।

13.5.4. **पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:**

13.5.4.1. अनुबंध-III के अनुसार वचनबंध प्रमाण पत्र।

13.5.4.2. **अनुलग्नक- II** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

13.5.4.3. यदि सशस्त्र बलों से मुक्त हुआ है तो सेवामुक्ति प्रमाणपत्र,

13.5.4.4. यदि कोई आयु छूट चाहता है तो संगत प्रमाण पत्र

13.5.4.5. अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।

13.5.5. एक अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि पर मैट्रिक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

13.5.5.1. महिलाओं के विवाह के मामले में : पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी के नाम हों या विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का शपथ पत्र।

13.5.5.2. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाणपत्र जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी के नाम या रजिस्ट्रार या विवाह द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी से शपथ पत्र शामिल है।

13.5.5.3. महिलाओं के तलाक के मामले में : तलाक डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लिए गए एकपक्षीय विलेख/शपथ पत्र की प्रति।

13.5.5.4. अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन के लिए: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लिए हुए एकपक्षीय

विलेख/शपथ पत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते के क्षेत्र का होना चाहिए या आस-पास के क्षेत्र का) और राजपत्र अधिसूचना।

13.5.6 दस्तावेज सत्यापन(डीवी) के लिए प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट अन्य कोई भी दस्तावेज

13.6 **<u>विस्तृत चिकित्सा जांच (डीएमई):</u>**

13.6.1 चुने गए (शॉर्टलिस्ट किए गए) अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस का आकलन करने के लिए केरिपुबल द्वारा गठित चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सीय बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, सीएपीएफ और असम राइफल में राजपत्रित अधिकारी और गैर-राजपत्रित अधिकारी की भर्ती के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20/05/2015 के यूओ संख्या ए.छः.1/2014-भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का.ज्ञा.सं.ई.32012/एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई/आरएमई/डीए-1/2020 (भाग फाइल)/1166 के तहत जारी समान दिशानिर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

13.6.2 चिकित्सा परीक्षण के मामले में, "अस्थायी अयोग्यता" की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, एक महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षणों के परिणामस्वरूप गर्भवती पाई जाती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि कितनी भी हो, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि प्रसूति समाप्त नहीं हो जाती। जिस पद के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की तारीख के छह सप्ताह बाद एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए। यदि वह फिट पाई जाती है तो उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है।

1 3.6.3 **विस्तृत चिकित्सा जाँच (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को पुनरीक्षण चिकित्सा जाँच (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे अनुलग्नक-VIII के अनुसार अयोग्य होने के कारणों को इंगित करते हुए सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों की आरएमई डीएमई की निरंतरता में डीएमई के अगले दिन आयोजित की जाएगी। अनुलग्नक-VIII के अनुसार आरएमई के लिए अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति डीएमई में उसकी अनुपयुक्तता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। भारत सरकार/गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का.ज्ञा.फा.सं.-ई.32012/एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई व आरएमई/डीए-1/2020-(भाग फाइल)/1166 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। पुनः चिकित्सा बोर्ड/पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुनः**

चिकित्सा बोर्ड/पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड के फैसले के खिलाफ कोई अपील/ अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.6.4 पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड विशेष रूप से उस कमी के लिए अभ्यर्थी की जांच करेगा जिसके लिए निर्देश के अनुसार डीएमई के दौरान अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है।

13.6.5 यदि अभ्यर्थी आरएमई में फिट पाया जाता है, तो उसका नाम अंतिम योग्यता सूची/परिणाम तैयार करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट अभ्यर्थी के डेटा/सूची में शामिल किया जाएगा।

13.6.6 नेत्र दृष्टि: न्यूनतम दूर दृष्टि बिना किसी सुधार के एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 होनी चाहिए अर्थात बिना चश्मा या लेंस पहने।

13.6.7 अभ्यर्थी के घुटने, सपाट पैर, आंखों में भेंगापन या वैरिकोज़ नस नहीं होनी चाहिए और उनके पास उत्तम रंग दृष्टि होनी चाहिए।

13.6.8 उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

13.7 **टैटू** : टैटू की अनुमति केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी:

13.7.1 **विषय-वस्तु :** भारतीय सेना में अनुसरण किए जाने वाले धार्मिक प्रतीक या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति है।

13.7.2 **स्थान** : शरीर के पारंपरिक भागों पर चिह्नित टैटू अंग के भीतरी भाग पर होते हैं, लेकिन केवल बाएं अग्रभाग, गैरसलामी अंग **या** हाथों के पिछले भाग पर होने की अनुमति होगी।

13.7.3 **आकार** : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के एक चौथाई से कम आकार का होना चाहिए।

14. **टेस्ट में प्रवेश :**

14.1 सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि और समय तक इस विज्ञापन के उत्तर में स्वयं को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन क्रम में पाए जाते हैं और परीक्षा की सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार केरिपुबल द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें रोल नंबर दिए जाएंगे और सीबीटी में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र(एसी) जारी किया जाएगा।

14.2 केरिपुबल कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखें और खुद को संतुष्ट करें कि वे इस पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियां मांगी जाएंगी। जांच के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में केरिपुबल का निर्णय अंतिम होगा।

14.3 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से केरिपुबल की वेबसाइट देखते रहें।

14.4 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की समय-सारणी और शहर/परीक्षा केंद्र की सूचना परीक्षा की तारीख से लगभग 01 सप्ताह पहले केरिपुबल की वेबसाइट

पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पहले केरिपुबल की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे अपना आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता उसे किसी भी दावे पर विचार करने से वंचित कर देगी।

14.5 केरिपुबल से किसी भी पत्राचार को संबोधित करते समय अभ्यर्थी को नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.6 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण से एक सप्ताह पहले केरिपुबल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र का 02 (दो) रंगीन प्रिंट आउट लाना होगा।

14.7 चाहे कोई भी चरण लागू हो, केरिपुबल की वेबसाइट से सीबीटी/कौशल(स्किल) टेस्ट/पीएसटी और दस्तावेज सत्यापन/ डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को सीबीटी, कौशल टेस्ट, पीएसटी और दस्तावेज सत्यापन और डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले केरिपुबल से संपर्क करना चाहिए। प्रवेश पत्र न मिलने की स्थिति में अभ्यर्थी केरिपुबल हेल्पलाइन नंबर 011- **26160255 पर संपर्क कर सकते हैं** । (केवल कार्य दिवसों पर 1000 से 1800 बजे तक)

14.8 प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो, निम्नलिखित मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाणों में से एक लाना अनिवार्य है, जिसमें जन्म तिथि हो जैसा कि प्रवेश पत्र पर छपी है, जैसे:

14.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

14.7.2 मतदाता पहचान पत्र,

14.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

14.7.4 पैन कार्ड,

14.7.5 पासपोर्ट,

14.7.6 विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,

14.7.7 नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पीएसयू) ,

14.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक,

14.7.9 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र।

14.9 **यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अतिरिक्त मूल दस्तावेज {जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक पत्र; जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी (कैटगरी) प्रमाण पत्र} उनकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

14.10 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी लाया जा सकता है।

14.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

15. <u>चयन का तरीका:</u>

15.1 भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी/कौशल(स्किल) परीक्षा/पीएसटी और डीवी और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) शामिल होगी।

15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:

1 5.2.1. यूआर: 40%

1 5.2.2. ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एससी/एसटी:35%

15.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत

(नॉर्मलाइज़) किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत(नॉर्मलाइज़)अंकों का उपयोग अंतिम मेरिट और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

15.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को कौशल(स्किल) टेस्ट में उपस्थित होने के लिए चुना जाएगा। केरिपुबल के पास कंप्यूटर आधारित टेस्ट में अन्य के साथ-साथ श्रेणी-वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार संख्या को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कट-ऑफ अंक तय करने का विवेकाधिकार होगा।

15.5 कौशल(स्किल) टेस्ट अनिवार्य है किंतु अर्हक (क्वालिफाइंग) प्रकृति में है।

15.6 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को कौशल(स्किल) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे।

15.7 पीएसटी अनिवार्य है किंतु अर्हक प्रकृति का है।

15.8 कौशल(स्किल) परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पीएसटी और दस्तावेजों के सत्यापन की अनुमति दी जाएगी।

15.9 सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच में उपस्थित होने के लिए चुना जाएगा।

15.10 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज़ मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।

15.11 अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

15.12 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थी, जो मानकों में छूट के बिना अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, को रिक्तियों के आरक्षित हिस्से के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पद में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समग्र योग्यता(मेरिट) में उनकी स्थिति के अनुसार या उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों में से जो भी उनके लिए लाभदायक हो, समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।

15.13 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम उम्मीदवार, जो आयु सीमा या अर्हता आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता(मेरिट) स्थिति के बावजूद, संबंधित श्रेणियों में आरक्षित रिक्तियों के लिए माना जाएगा एवं अनारक्षित रिक्तियों के लिए नहीं माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों की छूट पर भी सिफारिश की जा सकती है, ताकि योग्यता के क्रम में उनकी रैंक के बावजूद आरक्षित कोटे में कमी को पूरा किया जा सके। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु से की गई सैन्य सेवा की कटौती स्वीकार्य है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में शिथिल मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा।

15.14 **परीक्षा में सफलता मिलने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है।**

15.15 **परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हों। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

15.16 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षा अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण से गुजरना होगा या ऐसी परीक्षा पास करनी होगी जैसा कि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर, अभ्यर्थियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए फिट माना जाता है, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उसके पद पर स्थायी किया जाएगा।

15.17 यदि परीक्षा के किसी भी चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हक नहीं होता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो सीआरपीएफ को अभ्यावेदन करना होगा।

15.18 यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और अंतिम परिणाम घोषित होने के 3 महीने की अवधि के भीतर सीआरपीएफ से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तुरंत सीआरपीएफ को सूचित करना चाहिए।

15.19 ये पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) के हैं, अर्थात अभ्यर्थी का चयन होने पर देश में कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

15.20 अभ्यर्थी **अपना आवेदन जमा करते समय केवल एक पद** का चयन कर सकते हैं अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा अखिल भारतीय आधार पर एक ही तिथि/समय पर आयोजित की जाएगी।

16 <u>बराबरी(टाई) के मामलों का समाधान:</u>

16.1 ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, बराबरी (टाई) को एक के बाद एक निम्नलिखित तरीकों को लागू करके हल किया जाएगा:

16.1.1.जन्म तिथि, उम्र में बड़े अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।

16.1.2. अभ्यर्थियों के नामों का वर्णानुक्रम।

17. <u>सीआरपीएफ का निर्णय अंतिम:</u> चयनित अभ्यर्थियों के लिए उनकी पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षा के संचालन, परीक्षा केंद्र के आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में सीआरपीएफ का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. <u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई:</u>

18.1. यदि अभ्यर्थी परीक्षा के संचालन के दौरान नीचे सूचीबद्ध किसी भी कदाचार में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें नीचे उल्लिखित अवधि के लिए सीआरपीएफ के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा:

क्र.सं	कदाचार का प्रकार	विवर्जित अवधि
1	परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे रफ शीट ,सीआरपीएफ प्रवेश पत्र की प्रति , टाइपिंग सामग्री आदि को परीक्षा हॉल से ले जाना या परीक्षा के संचालन के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों को देना।	2 साल
2	परीक्षा के दौरान परीक्षा स्थल को बिना बताए छोड़ना।	2 साल
3	परीक्षा पदाधिकारियों "अर्थात पर्यवेक्षक ,निरीक्षक ,सुरक्षा गार्ड या सीआरपीएफ के प्रतिनिधि आदि के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार ,डराना या धमकी देना ।	3 साल
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	3 साल
5	ऐसे बयान देना जो गलत या झूठा हैं, तात्विक सूचना को छुपाना, झूठा दस्तावेज जमा करना आदि।	3 साल
6	अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	3 साल
7	"स्विच ऑन" या "स्विच ऑफ" मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 साल
8	नियमों के विपरीत एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होना।	3 साल
9	एक उम्मीदवार जो उसी टेस्ट में टेस्ट से संबंधित मामलों पर भी काम कर रहा है।	3 साल
10	परीक्षा संबंधी आधारभूत संरचना/उपकरण क्षतिग्रस्त करना।	5 साल
1 1	जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण आदि के साथ परीक्षा में शामिल होना।	5 साल
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों का रखना।	5 साल
13	परीक्षा पदाधिकारियों 'यानी पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या सीआरपीएफ के प्रतिनिधि आदि पर हमला, बल प्रयोग, किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान पहुंचाना	7 साल
14	परीक्षा अधिकारियों को हथियारों/आग्नेयास्त्रों से डराना/धमकाना।	7 साल

15	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना, किसी कागज या शरीर के अंगों पर लिखित सामग्री आदि का उपयोग करना ।	7 साल
16	परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, जासूसी कैमरे और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना।	7 साल
17	प्रतिरूपण करना/किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना।	7 साल
18	स्नैपशॉट लेना ,प्रश्न पत्रों या टेस्ट सामग्री ,लैब आदि के वीडियो बनाना।	7 साल
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/ऐप्स/लैन/वैन, आदि के माध्यम से टेस्ट टर्मिनल साझा करना।	7 साल
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास।	7 साल

19. <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u> : इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ की परीक्षा का स्थान जहां उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं आता हो।

20. <u>निरर्हताएं</u> : कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है, या किसी व्यक्ति के साथ विवाह अनुबंध किया है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार, अगर संतुष्ट है कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्ति और शादी के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

21. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:</u>

21.1 जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, माता-पिता का नाम ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन से मेल नहीं खाती हो उनकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

21.2 जिन अभ्यर्थियों के एलटीआई, हस्ताक्षर, लिखावट और फोटो इनमें से कोई भी एक सीबीटी के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा एवं आवेदकों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए डेटा से मेल नहीं खाता है और परीक्षा के किसी भी स्तर पर मिलान नहीं होने पर **उन्हें संदिग्ध उम्मीदवारों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारी तय करने के लिए सीआरपीएफ संबंधित अधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकती है।

21.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित को बहुत सावधानी से पढ़ें: -

1.	आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।
2.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि समापन दिन के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण सीआरपीएफ की वेबसाइट से डिस्कनेक्ट/असमर्थता या लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके। ।
3.	भर्ती बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह करना और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आवेदित पद के लिए पात्र हैं। जब दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों की जांच की जा ती है, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
4.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /ईडब्ल्यूएस /ईएसएम के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ या परीक्षा की सूचना के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
5.	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित एक अभ्यर्थी, एक**

	राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर, एक जानकारी उपरांत विकल्प बनाना होगा कि मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवासन का राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में शामिल होना है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में बदलाव के लिए कोई अनुरोध सीआरपीएफ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में जिले और वर्तमान अधिवास की स्थिति के साथ-साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी उम्मीदवारी पर मूल राज्य से विचार किया जाएगा।
6.	**विकलांग व्यक्ति (PwD) अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।**
7.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि सीआरपीएफ द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है।
8.	देय शुल्क : केवल सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रु.100/ होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों से संबंधित अभ्यर्थियों को छूट दी गई है।
9.	अभ्यर्थियों को अपना नाम ,जन्म तिथि ,पिता का नाम और माता का नाम ठीक उसी तरह लिखना चाहिए जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिया गया है अन्यथा दस्तावेज़ सत्यापन के समय या सीआरपीएफ की जानकारी में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।
10.	**एक अभ्यर्थी को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है**। परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए । **यदि एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं ,तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी** । यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा ।
11.	**अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले,अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक फील्ड में सही विवरण भरा है। अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद ,किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक ,फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।**
12.	धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
13.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे 'अस्थायी रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए । आम तौर पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट किसी भी स्तर पर सीआरपीएफ को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है ।
14.	अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड /ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज /सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक या केंद्र /राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा स्थल पर ले जाना चाहिए, जिसके नहीं होने पर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि मुद्रित नहीं है ,तो अभ्यर्थियों को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में मेल न होने की स्थिति में ,अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**
15.	किसी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी/जाली आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
16.	अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि वे योद्धक बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और भर्ती के किसी भी चरण के

	दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार/सीआरपीएफ/भर्ती केंद्र ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
17.	परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए ,अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट //:httpwww.crpf.gov.in देखें।
18.	परीक्षा के किसी भी चरण के प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए, उम्मीदवार संबंधित भर्ती केंद्र या भर्ती शाखा, ईस्ट ब्लॉक नंबर **,**7तल **4-,** सेक्टर **01-,** आरके पुरम ,नई दिल्ली की हेल्पलाइन नंबर 011- 26160255 पर संपर्क कर सकते हैं।
19.	शारीरिक मापतौल टेस्ट के लिए अपीलीय अधिकारी संबंधित भर्ती केंद्र के ग्रुप केंद्र के उप महानिरीक्षक होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है /सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
20.	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ लेने के लिए जानबूझकर सिर में चोट (उभार/सूजन) करता है या सिर पर अम्लिका(टैमरिंड) रखता है, तो ऐसे उम्मीदवार को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
21.	यदि परीक्षा के किसी भी चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हक नहीं है ,तो उसे परिणाम घोषित होने के 05 दिनों के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से 05 दिन पहले, जो भी पहले हो संबंधित भर्ती केंद्र में अभ्यावेदन करना चाहिए।
22.	यदि कोई उम्मीदवार अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और परिणाम घोषित होने के 03महीने की अवधि के भीतर सीआरपीएफ से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत संबंधित भर्ती केंद्र से संपर्क करना चाहिए।
23.	**अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण के समय प्रवेश पत्र का दो रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र सौंपना होता है।**
24.	अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हवलदार (मंत्रा.) - 2022 परीक्षा के दौरान शामिल होने वाले पद का नाम चुनें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने पद की पात्रता मानदंड को पढ़ और समझ लिया है और आवेदित पद के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं। बाद में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर, यदि यह पाया जाता है कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, या किसी भी तथ्य को छुपाने के दोषी पाए जाते हैं, तो विभाग द्वारा परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
25.	यह विभाग आवेदन पत्र में किसी विशेष फील्ड में किसी भी सुधार/जोड़ने/हटाने की स्वीकृति न देने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कारण चाहे जो भी हो।
26.	अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से उस पद का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन कर रहे हैं।
27.	नियुक्ति अभ्यर्थियों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट किए जाने और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।
28.	सभी पद वर्दीधारी है। चयनित अभ्यर्थियों को सीआरपीएफ के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान/जीसी में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस विषय पर सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहने वालों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
29.	आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, शारीरिक/चिकित्सा मानक आदि के संबंध में पात्रता मानदंड की अंतिम जांच, दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा के समय और बल में शामिल होने के समय भी की जाएगी।

	इसलिए, एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बल में शामिल होने तक केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा/बल में शामिल होने के समय जब जांच की जाती है और यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में केरिपुबल का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही बल में शामिल होने के बाद, जन्म तिथि/शिक्षा/जाति/अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता/वास्तविकता संबंधित बोर्ड/प्राधिकरण/संस्थान से सत्यापित की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाए जाने पर, बिना कोई कारण बताए संबंधित उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
30.	भर्ती और परीक्षा/परिणाम आदि के संबंध में विज्ञापन में कोई भी संशोधन या अपडेट केवल सीआरपीएफ की **वेबसाइट www.crpf.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा ।
31.	संबंधित श्रेणी में छूट केवल उन मामलों को दी जाएगी जहां आवेदन किए गए पद के लिए संबंधित श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध हैं। यदि पद में संबंधित श्रेणी की रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं और उम्मीदवार अपनी श्रेणी में छूट नहीं ले रहा है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। जहां ईएसएम/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एससी/एसटी श्रेणी की रिक्ति उपलब्ध नहीं है और उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर खारिज कर दी जाएगी। हालांकि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के आवेदन उनकी श्रेणी या विशेष श्रेणी में रिक्ति के बावजूद स्वीकार किए जाएंगे।
32.	**दलालों से सावधान रहें। सीआरपीएफ में भर्ती के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को भुगतान किया है या पैसे देने का वादा किया है, तो आपके साथ धोखा हो रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपका चयन करवाने के लिए पैसे की मांग करता है तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ), संबंधित भर्ती केंद्र के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।**

(सुधाकर उपाध्याय)
महानिरीक्षक (स्थापना)
महानिदेशालय

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के चरण:

I	अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। आवेदन क्रम संख्या, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचना/अलर्ट इसी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे (कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेल बॉक्स पर भेजा गया ई-मेल आपके जंक/स्पैम फ़ोल्डर पर पुन:र्निर्देशित नहीं किया गया है)।
II	ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। आप चरण-I और चरण-II जमा करने से पहले जानकारी संशोधित कर सकते हैं। एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
III	आवेदन पत्र जमा करने की चरण दर चरण प्रक्रिया नीचे दी गई है: चरण :I -व्यक्तिगत और संपर्क विवरण का पंजीकरण। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। चरण :II -फिर से लॉगिन करें और श्रेणी का चयन करें और व्यक्तिगत विवरण, अर्हता विवरण भरें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें और "भर्ती प्रोसेसिंग शुल्क" और परीक्षा शुल्क (यदि लागू हो) सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे कोई भी श्रेणी हो नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें, ।
IV	एक बार जमा किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है और एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा,यह न तो किसी अन्य भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा और न ही भविष्य में चयन प्रक्रिया के लिए।
चरण I-पंजीकरण:	
क.	नियम और शर्तों से सहमत अभ्यर्थी नीचे दिए गए 'मैं सहमत हूँ' चेकबॉक्स पर क्लिक करके और 'स्टार्ट' बटन दबाकर आवेदन कर सकते हैं।
ख.	अभ्यर्थियों को सभी वांछित जानकारी अर्थात व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण आदि को सही ढंग से भरना चाहिए।
ग.	चरण-I पंजीकरण पूरा होने पर, अभ्यर्थी की पंजीकृत ईमेल आईडी में एक सूचना प्राप्त होगा जिसमें उनकी लॉगिन आईडी (आवेदन क्रम संख्या) और पासवर्ड होगा।
घ.	आवेदन पत्र में (चरण-II के लिए) अन्य विवरण भरने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग-आउट और फिर से लॉग-इन करना होगा।
चरण-II आवेदन पत्र पूरा करना:	
च.	पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी को लॉगिन करना होगा और आवेदन पत्र में अन्य विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, अर्हता संबंधी विवरण और घोषणा आदि पूरा करना होगा।
छ.	फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करने संबंधी निर्देश : अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज अपलोड करें। आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप ही स्वीकार्य है: i. फोटोग्राफ छवि: • रंगीन फोटो 35 मिमी आकार के (चौड़ाई) x 45 मिमी. (ऊँचाई) के 03 महीने से अधिक पुराना नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी। • हल्के पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड)। हल्के ग्रे/सफेद रंग का सुझाव दिया जाता है। कोई पैटर्न नहीं। • फोटो का 70-80% हिस्सा चेहरे से कवर होना चाहिए। आवेदक को सामान्य हाव-भाव के साथ सीधे कैमरे की ओर देखना चाहिए। • पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) से मेल खाते रंगों की एकरूपता से बचें। • यदि आवेदक ऑप्टिकल चश्मा पहनता है, तो उसका/उसकी आंखें पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए। • स्कैन की गई छवि का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में 50-100 केबी के बीच होना चाहिए।

	ii. हस्ताक्षर का इमेज : • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना होगा। • हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। • **कृपया हस्ताक्षर किए हुए स्थान को ही स्कैन करें पूरे पृष्ठ को नहीं** । • फ़ाइल का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में 50-100 केबी के बीच होना चाहिए।
ज.	एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक गेटवे पर स्वचालित रूप से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई आदि के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले भर्ती प्रोसेसिंग शुल्क रु.100/ (यदि लागू हो) (साथ में बैंक शुल्क, यदि लागू हो) का परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए पुन:र्निर्देशित किया जाएगा। । अभ्यर्थी भविष्य में संदर्भ के लिए भुगतान पावती पर्ची निकाल(जेनरेट) सकते हैं।
झ.	शुल्क प्रेषित करने के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं: • जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक गेटवे पर ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पुनः निर्देशित किया जाएगा। • कृपया विवरण सत्यापित करें और विभिन्न भुगतान मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। • सफल ऑनलाइन भुगतान के बाद, अभ्यर्थी को उसका/उसकी आवेदन पत्र पर पुन:र्निर्देशित किया जाएगा।
ट.	भविष्य के सभी संदर्भों के प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा होने के बाद वे अपने आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट अपने पास रखें।
ठ.	ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तकनीकी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए ,कृपया बेझिझक हेल्पडेस्क पर **ईमेल: helpdesk.bharti@nic.in या फोन नंबर 02261087529 (1000 से 1800 कार्य दिवस) पर संपर्क करें।**

(सुधाकर उपाध्याय)
महानिरीक्षक (स्थापना)

महानिदेशालय

अनुलग्नक - II

सेवारत सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार (संख्या) ______________________ (रैंक) ______________ (नाम) ______________ दिनांक ________ को सशस्त्र बलों के साथ उनकी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने वाली है।

स्थान : कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक : कार्यालय मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध प्रमाण पत्र

मैं समझता हूं कि, यदि भर्ती/परीक्षा, जिससे आवेदन संबंधित है, के आधार पर चयन किया जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत रूप से मुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं में पुन: रोजगार और पद नियम, 1979, समय-समय पर संशोधित) के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

मैं यह भी समझता हूं कि मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय सिविल क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आरक्षण रिक्तियों की रियायत का लाभ उठाकर (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है।

मैं आगे निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं:

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ---

ख) सेवामुक्ति की तिथि---

ग) सशस्त्र बल में सेवा की अवधि---

घ) मेरी आखिरी यूनिट / कोर--

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या ऐसे जिले जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर पर निवास करते हैं, नीचे दिए गए किसी अन्य अधिकारी जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है, से एक प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार आमतौर पर उस जिले में निवास करता हो अन्यथा उम्मीदवार स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य से रहता हो। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य प्रमाणित या सत्य प्रतिलिपि नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*............................ ....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री....................................ग्राम/नगर*..जिला/मण्डल*........ ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*...............................के निवासी.....................जाति/जनजाति से संबंधित है जोकि निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951*
...............* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.......................
(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन)आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, एवं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन)अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956..............
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।
संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अध्यादेश 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अध्यादेश , 1996

%2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवासित हुए हैं, के मामले में लागू।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी...................................के माता/पिता. श्री/श्रीमती----------------- ग्राम/नगर*......................................जिला/मण्डल*...........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*............................ को .... के द्वारा दिनांक........................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जो उस जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य /संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*...........................और/या उसका परिवार सामान्यत: .... ग्राम/नगर*....................... जिला/मंडल*............. राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र में निवास करता/करती है।

हस्ताक्षर

स्थान : .... **पदनाम--------------------

दिनांक : .... (कार्यालय की मोहर सहित)

* जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश को दर्शाए।

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

टिप्पणी :- यहॉं ''सामान्यत: निवास करते हैं'' का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/उपायुक्त / अपर उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त /तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसलीदार से कम न हो।

(iv) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडू राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

****

<u>अनुलग्नक –V</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी--------- पुत्र/पुत्री------------- गांव/कस्बा----------------जिला/संभाग------------ के -राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... में----------समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक-- -- -------के संकल्प सं.--------- तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी------------- और/या उनका/उनका परिवार आमतौर पर --------------राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के ------------जिला/संभाग में रहता/रहती है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के अनुसूची के कॉलम 3, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) दिनांक 08.09.1993** में वर्णित अनुसार व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

जिला मजिस्ट्रेट

उपायुक्त आदि।

दिनांक:

मुहर:

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

**जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

लंबाई या सीना के माप से छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री------------------------------सुपुत्र श्री---------------ग्राम--------------तहसील/तालुका -----------------जिला-------------राज्य ----------------का स्थायी निवासी है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

*गढवाली, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी।

*पूर्वोत्तर के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी , जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप मंडल नामत: दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग तथा इन जिलों के निम्नलिखित “मौजा” उप-मंडल शामिल हैं:-

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ फॉरेस्ट (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहाड़ू (8) सुकना फॉरेस्ट (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति फॉरेस्ट -1 (11) महानदी फॉरेस्ट (12) चंपासरी फॉरेस्ट (13) सालवारी छत भाग-2 (14) सितोंग फॉरेस्ट (15) सिवोके पहाड़ी फॉरेस्ट (16) सिवोके फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया

*वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट /
उप मंडल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

स्थान :-.................
दिनांक ....

*जो लागू न हो उसे मिटा दें।

............................सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र)

प्रमाण पत्र संख्या ....

तिथि...............

.... वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..............................सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी........... ....ग्राम/गली ....डाकघर ....जिला................. का स्थायी निवासी ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में.......................... पिन कोड........... ....जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके 'परिवार' ** की सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उसके परिवार के स्वयं का या अपने पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है ***:

I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक
II. 1000 वर्गफुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी...जोकि ....जाति के हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर...........
नाम..
पदनाम...

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

---

* टिप्पणी .1 : आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

** टिप्पणी .2 : इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

** टिप्पणी .3 : ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा गया है।

टिप्पणी .4: **आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:-**

जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर /उपायुक्त /अपर उपायुक्त / डिप्टी क्लेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त-सहायक उपायुक्त /तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, या राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो या अभ्यर्थी तथा/या उसका परिवार आमतौर पर जहां निवासरत हो उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी

<u>अनुलग्नक-VIII</u>

<u>कार्यालय के प्रयोग के लिए</u>

<u>सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हवलदार(मंत्रालयिक) परीक्षा-2021-22</u>

फॉर्म संख्या सीएपीएफ/रैंक(कैडर)/1 अनफिट ज्ञापन

विषय**:- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) में ....(रैंक) के पद के लिए डीएमई में अनफिट पाए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण का पुनरीक्षण।**

श्री/सुश्री...................रोल नंबर................ को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पद...................... (रैंक) पर भर्ती के लिए......................को.................... पर उसकी चिकित्सकीय जांच की गई है और नीचे उल्लिखित कारणों से उसे अनफिट पाया गया है:-

i) ....
ii) ....
iii) ....
iv) ....

2. आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए गए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करके पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरएमई दिनांक .... को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आपको....................... बजे रिपोर्ट करना आवश्यक है।

दिनांक ....
केंद्र...........

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम..............
मुहर................

पीठासीन अधिकारी के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर ।

चिकित्सा परीक्षण का परिणाम प्राप्त किया

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

<u>केवल अभ्यर्थी के उपयोग के लिए</u>

सेवा में
भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी
....
....

विषय: पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के लिए आवेदन पत्र।

महोदय,

मैं, एतदद्वारा पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

स्थान ....
दिनांक..............

हस्ताक्षर ....
नाम ....
रोल नंबर.................

(...)
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित ....

अनुलग्नक –IX

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए - घोषणा/वचनबंध प्रमाण पत्र

मैं-------------------सुपुत्र/सुपुत्रीश्री-----------------------निवासी ग्राम/कस्बा/नगर------------------जिला-- ---- -------राज्य---------------- एतदद्वारा घोषणा करता हूॅ कि मैं ------------------------ समुदाय से संबंधित हूं जिसे भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt (SCT), दिनांक 8/9/1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है । यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8/9/1993 के कॉलम 3 में उल्लिखित जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9/3/2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-Estt(Res) द्वारा यथा संशोधित के तहत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

*अभ्यर्थी द्वारा बिना हस्ताक्षरित घोषणा/वचनबंध प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।